EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)
Appearing on Page Nos. 2385—2386
Dated 1-11-2003

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 383.—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) संशोधन नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 1989 की अनुसूची में,—

(i) क्रम सं. 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1. मंजूर पदों के संबंध में रिक्त पदों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति";

(ii) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं. 2002/टीसी(आरसीटी)3-2]

पद्माक्षी रहेजा, कार्यपालक निदेशक, जन-शिकायत

पाद टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 845(अ) तारीख 19 सितंबर, 1989 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2003

G.S.R. 383.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Railway Claims Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Financial and Administrative Powers) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 1989 in the Schedule,—

(i) for the entry against serial number 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"1. Appointment on deputation basis against vacancies in respect of sanctioned posts.";

(ii) serial number 6 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 2002/TC(RCT) 3-2]

PADMAKSHI RAHEJA, Executive Director, Public Grievances

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 845 (E), dated the 19th September, 1989.

MGIPRRND—3172 RB/03—400